प्रेषक,
बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय,
गोरखपुर।

सेवा में,
✓ प्रबन्धक,
सरमाउण्ट इण्टर नेशनल प्रा० वि०,
सिद्धार्थ इन्क्लेव, तारा मण्डल, गोरखपुर।

पत्रांकः/नगर/ 1401–07 /2009–10 दिनांकः 10/7/09

विषयः प्राथमिक विद्यालय की नवीन अस्थाई मान्यता।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में जनपदयी मान्यता समिति के निर्णयानुसार आपके विद्यालय को प्राथमिक स्तर की अस्थाई शासनादेश सं0–230/15–6–96–18 एस–(7) दिनांक 18.01.96 एवं शासनादेश संख्या–1073(1) 15–6–96–18 एस0(7)/89 दिनांक 10.09.98 के क्रम में निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ सत्र 2009–10 से प्रदान की जाती है:–

1. परिषदीय पाठ्यक्रमानुसार ही शिक्षा दी जाये।
2– अप्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति मान्यता नही है। अर्ह अध्यापकों की नियुक्त, अनुमोदन अनुमति प्राप्त कर चालू सत्र में करा लिया जाये।
3– अवैधानिक कक्षायें संचालित न की जाये।
4– बिना पूर्व अनुमति के कोई भी कक्षा उपवर्ग बंद व समाप्त स्थानान्तरित न किये जाये।
5– विभागीय नियमों के अनुसार शिक्षण शुल्क लिया जायेगा तथ उसका लेखा–जोखा रखा जायेगा।
6– इस कार्यालय के अनुमति के बिना किसी अर्ह प्रशिक्षित अध्यापकों की सेवा समाप्त नही की जायेगी।
7– विभागीय नियमों एवं आदेशों के उल्लंघन तथा अनियमित कार्यो की दशा में मान्यता निरस्त करने की अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित है।
8– स्थायी मान्यता प्राप्त करने हेतु पांच वर्ष के अन्दर लिखित सभी शर्तो को पूरा करते हुये आवेदन–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9– नियामानुसार पांच वर्ग मान्य होंगें।

9.7.09

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गोरखपुर

पृ०सं० / नगर / /2009–10 तद् दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिला समाज कल्याण अधिकारी/पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/विकलांक कल्याण अधिकारी/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, गोरखपुरफ
2. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
3. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, क्षेत्र....नगर क्षेत्र....गोरखपुर।
4. नगर शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गोरखपुर

13/09/2023
PRINCIPAL
SURMOUNT INTER NATIONAL SCHOOL
Siddharthpuram Taramandal, Gorakhpur

Manager
Surmount International School
Siddharth Puram Taramandal
Gorakhpur (U.P.)